न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हरिद्वार।

वाद सं0–6565/2026

सरकार बनाम विशाल

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वह प्रस्तुत वाद में कारित अपराध स्वीकार करना चाहता है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया अपराध संस्वीकृति का कथन कर प्रस्तुत मामले में अपराध संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया गया।

3. अतः अभियुक्त के द्वारा अपराध संस्वीकृति के आधार पर **अभियुक्त–** को एम0वी0 **एक्ट के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित** किया जाता है। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अभियुक्त 15 दिन का सादा कारावास भोगेगा।

अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा की गयी।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् नियमानुसार विनिष्ट की जाये।

(शैलेन्द्र कुमार यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय,
हरिद्वार।